

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र



विषयसूची

- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु बैठक
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 93वीं बैठक
- केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की पहली बैठक
- पुणे में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र और वाराणसी में स्वच्छ नदी जल पर स्मार्ट प्रयोगशाला पर सहयोग के लिए डेनिश प्रस्ताव के संबंध में बैठक
- कृषि क्षेत्र में भूजल उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई, पुलिस विविधीकरण और जल उपयोग दक्षता से संबंधित एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के लिए बैठक
- गणमान्य अतिथियों के साथ संवादात्मक सत्र
- बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति के विशेषज्ञों के साथ परिचयात्मक बातचीत
- एनएचपी के तहत विस्तारित जल विज्ञान भविष्यवाणी (बहु-सप्ताह पूर्वानुमान) परियोजना पर कार्यशाला
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए समीक्षा बैठक
- बीसी अनुपात की गणना और प्रमुख और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत अनुमान की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कार्य समूह की दूसरी बैठक
- आईडीडब्ल्यूपी द्वारा आयोजित पर्यावरणीय-प्रवाह प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन भाषण
- प्रगति फ्रेमवर्क के माध्यम से निगरानी की जाने वाली परियोजनाओं में प्रगति की समीक्षा
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में बैठकें
- सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता
- इतिहास- राजौलीबुण्डा डायवर्सन योजना



डॉ.आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

5 अप्रैल 1945 को, श्री बी. आर. अम्बेडकर की सलाह पर सीडब्ल्यूआईएनसी की स्थापना की गई, जिसने समय के साथ अपना रूप बदल लिया और केंद्रिय जल आयोग बन गया। के.ज.आ. ने समय के साथ सौंपे गए प्रत्येक कार्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करके इस महीने 77 साल पूरे कर लिए हैं। आयोग को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल शक्ति विकास के उद्देश्य से पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं को शुरू करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह ऐसी किसी भी योजना की जांच, निर्माण और निष्पादन भी करता जिसकी आवश्यकता हो। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

मुझे श्री ए.बी. पंड्या, महासचिव, आईसीआईडी के साथ अतिथि गणमान्य व्यक्तियों, प्रो. असित के. बिस्वास, एक शिक्षाविद और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर, ग्लासगो विश्वविद्यालय, यूके और डॉ. सेसिलिया तोर्तजादा, अभ्यासरत प्रोफेसर, अंतर्विषयक अध्ययन, स्कूल, ग्लासगो विश्वविद्यालय, यूके का स्वागत करने का सम्मान मिला। 5.04.2022 को उनके साथ जल सुरक्षा, अतिरिक्त प्रबंधन या मांग पक्ष प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन के नवीनतम विचार जैसे मुद्दों पर एक संवाद सत्र आयोजित किया

गया था। इसके अलावा, प्रो. असित के. बिस्वास ने सत्र के दौरान "जल सुरक्षा और भारत के विकास" पर करंट साइंस में प्रकाशित किए पेपर के बारे में बात की।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (एससी-केबीएलपी) की संचालन समिति की पहली बैठक सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, जलशक्ति मंत्रालय और अध्यक्ष, केबीएलपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में, भूमि अधिग्रहण, भोपाल में केबीएलपीए का प्रधान कार्यालय तथा छतरपुर एवं झांसी में कार्यालय खोलने आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

एनडब्ल्यूए, पुणे ने पर्यावरण प्रवाह आकलन पर इंटरएक्टिव प्रशिक्षण आयोजित किया: भारत और यूरोपीय संघ में 05-07 अप्रैल 2022 के दौरान ई-फ्लो आकलन पर परिचय भाग-1 जिसमें केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारी, राज्य सरकारों, नदी बोर्डों, इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थानों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, अनुसंधान संगठनों और जल संसाधन विकास और प्रबंधन की पर्यावरणीय निगरानी में शामिल केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भाग लिया। श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को सूचित किया कि "भारत में ई-प्रवाह मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज" और रामगंगा नदी और भरतपुझा नदी पर ई-प्रवाह रिपोर्ट आईडीडब्ल्यूपी के तहत विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके तैयार की गई है।

श्री.के. गुप्ता



लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड के कार्या न्वयन की समीक्षा के लिए बैठक

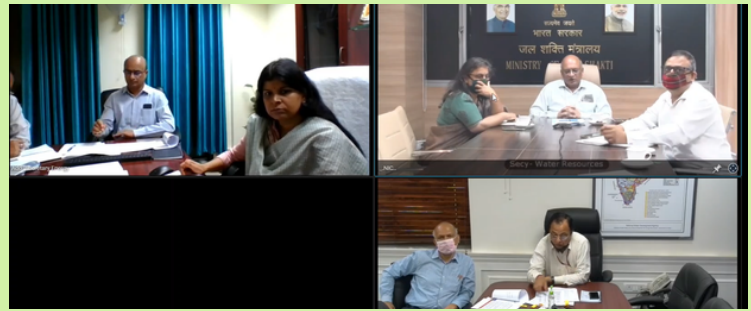
लखवार बहुउद्देशीय परियोजना मूल रूप से संयुक्त लखवार व्यास बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा थी जिसे योजना आयोग द्वारा 1976 में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद जुलाई, 2010 में उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की अलग डीपीआर और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में व्यासी जल विद्युत परियोजना (एचईपी) की अलग डीपीआर प्रस्तुत की। उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी पर लखवार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करने की योजना है। इस परियोजना में लखवार गांव के पास यमुना नदी पर 192 मीटर ऊंचे बांध (बांध टॉप आरएल 800 मीटर, एफआरएल 796 एम) के निर्माण के माध्यम से 300 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है और 580 एमसीएम (0.47 एमएएफ) पानी का भंडारण किया गया है। परियोजना का नवीनतम लागत अनुमान है रु. 5747.17 करोड़ (पीएल जुलाई 2018) जिसमें सिंचाई घटक की लागत रु.4673.01 करोड़ (81.30%) और बिजली घटक की लागत रु.1074.16 करोड़ (18.70%) है।

इस परियोजना को फरवरी 2008 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय परियोजना की योजना में शामिल किया गया है। यह योजना ग्यारहवीं योजना के दौरान लोगों के लाभ के लिए पहचानी गई राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय परियोजनाओं को केंद्रीय अनुदान के रूप में सिंचाई और पीने के पानी घटक की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 11.04.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ., यूजेवीएनएल, देहरादून के अधिकारी शामिल हुए थे।

"बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा के मुद्दे के अध्ययन" पर समिति की 5वीं बैठक

डॉ. आर.के. गुप्ता अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में 19.04.2022 को "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे के अध्ययन" पर समिति की पांचवीं बैठक आयोजित की गई जिसमें बिहार सरकार और एनआईएच, पटना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में, निदेशक, जल विज्ञान (केंद्रीय) ने 21.10.2021 को आयोजित चौथी बैठक के बाद से अध्ययन में हुए विकास का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2022 को डेटा संकलन रिपोर्ट (दूसरी प्रदेय) को स्वीकार कर लिया गया और जनवरी, 2022 के अंत तक अध्ययन क्षेत्र में सलाहकार की सर्वेक्षण टीम द्वारा अनुप्रस्थ काट सर्वेक्षण (गंगा नदी पर 100 अनुप्रस्थ काट) पूरा कर लिया गया है।



बैठक में भूमि अधिग्रहण एवं आरएंडआर कार्य, निविदा प्रक्रिया, प्रथम किशत शीघ्र जारी करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सहित परियोजना निगरानी के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों ने परियोजना के लिए भूमि की लागत को छोड़कर प्रावधानित स्थापना लागत कार्य का 9% के संबंध में चिंता व्यक्त की। वे चाहते थे कि स्थापना लागत या तो भारत सरकार द्वारा वहन की जाए, या अन्य बेसिन राज्यों द्वारा, जिनके लाभ के लिए परियोजना लागू की जा रही है। आयुक्त (एसपीआर), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशानिर्देश भारत सरकार को स्थापना लागत वहन करने की अनुमति नहीं देते हैं।

राजस्थान के जल संसाधन से संबंधित मुद्दों/परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक

माननीय जल शक्ति मंत्री ने 08.04.2022 को जयपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में राजस्थान के पानी से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय, के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों की एक टीम के साथ समीक्षा बैठक की। अन्य मूल्यांकन मुद्दों के अलावा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

समीक्षा बैठक में उपस्थित के.ज.आ. के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने माननीय मंत्री को अपने इनपुट प्रदान किए।

और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद

बैठक में, सलाहकार ने मॉडल सेटअप और अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति दी, जिस पर समिति के सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। सलाहकार ने बताया कि कोविड-19 महामारी ने अनुप्रस्थ काट सर्वेक्षण को पूरा करने में कुछ देरी की जिसके कारण अध्ययन के बाद के वितरण में देरी हुई। इस संबंध में, सलाहकार ने कोविड प्रतिबंधों के कारण अपरिहार्य देरी को देखते हुए परियोजना की पूर्णता तिथि के विस्तार का अनुरोध किया। समिति ने देरी के उचित कारणों को देखते हुए तिथि विस्तार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, और परियोजना की पूर्णता तिथि को बिना किसी लागत प्रभाव के 31.07.2022 तक बढ़ाने की सिफारिश की, जिसके लिए सलाहकार भी सहमत हुए।



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 93वीं बैठक

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 93वीं बैठक 12.04.2022 को नई दिल्ली में श्री पंकज कुमार, अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

बैठक में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (भारत सरकार और लाभार्थी राज्यों के अधिकारी) के सदस्यों और आमंत्रितों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, वे नीचे सूचीबद्ध हैं:

- 1200 मेगावाट सरदार सरोवर पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) का पम्पिंग मोड में गैर-परिचालन

- वर्ष 2017-18 के दौरान जीओजी द्वारा अतिरिक्त पानी निकाला गया।
- सरदार सरोवर बांध में मरम्मत कार्य।
- नदी तल बिजलीघर (आरबीपीएच) और नहर प्रमुख बिजलीघर (सीएचपीएच) के संचालन के लिए अलग-अलग रस्सी ढोल उच्चाटक के साथ एकल रोधक लट्टा।
- आरआर के साथ एनसीए सचिवालय के संशोधित संगठित ढांचे की स्वीकृति।
- दिल्ली/भोपाल/वडोदरा में एनसीए के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए फील्ड वाहन की आवश्यकता
- अनुपूरक एजेंडा-एनसीए कर्मचारियों जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई के तत्काल आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति।

केन बेतवा लिंक परियोजना संचालन समिति की पहली बैठक

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत एक राष्ट्रीय परियोजना है यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। संबंधित सरकारों ने 22.03.2021 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके प्रावधानों के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.02.2022 के तहत एक संचालन समिति का गठन किया गया था।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (एससी-केबीएलपी) की संचालन समिति की पहली बैठक 07.04.2022 को श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और अध्यक्ष, संचालन समिति, केबीएलपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सार इस प्रकार है:

- मध्य प्रदेश सरकार 21 गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा सकती है और पीटीआर/तत्काल जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले 21 हेतु प्रति पूरक वनरोपण (सीए) के लिए चिह्नित गैर-वन सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
- एससी-केबीएलपी ने भोपाल में केबीएलपीए का प्रधान



कार्यालय और छतरपुर और झांसी में कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा।

- केबीएलपीए के सीईओ/एसीईओ के लिए भर्ती नियमों को संशोधित किया जा सकता है और सीईओ/एसीईओ/निदेशक (एफ) की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एलएमपी रिपोर्ट को 30.04.2022 तक अंतिम रूप दें और कार्यान्वयन तंत्र के साथ उसकी सिफारिश को संचालन समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा।
- टीओआर को अंतिम रूप दें और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करें।

पुणे में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र और वाराणसी में स्वच्छ नदी जल पर स्मार्ट प्रयोगशाला पर सहयोग के लिए डेनिश प्रस्ताव के संबंध में बैठक

अक्टूबर 2021 में डेनमार्क के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक से 02 कार्य बिंदु सामने आए। (1) स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और (1) पणजी में स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करना। दो प्रस्तावों को तैयार करने में एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिसंबर, 2021 से अप्रैल, 2022 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ और डेनमार्क पक्ष के बीच बैठकों और चर्चाओं की श्रृंखला आयोजित की गई है।

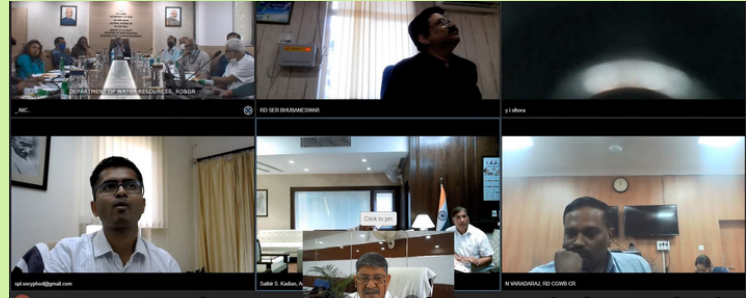
इस संबंध में, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (जल आयोजन और परियोजनाएं), के.ज.आ और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ने 25.04.2022 को के.ज.आ के संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावों अर्थात् (i) राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन (सीओई एस डब्ल्यू एआरएम) के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना; और, (ii) वाराणसी में स्वच्छ नदी जल (एसएलसीआरडब्ल्यू) के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की तैयारी की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने मसौदा प्रस्तावों पर डेनिश पक्ष से प्राप्त टिप्पणियों के अनुरूप प्रस्तावों को संशोधित करने का निर्देश दिया।



कृषि क्षेत्र में भूजल उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और जल उपयोग दक्षता से संबंधित कार्यसूची बिंदुओं पर चर्चा के लिए बैठक

देश में कृषि क्षेत्र में भूजल उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और जल उपयोग दक्षता के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए श्री पंकज कुमार, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2022 (हाइब्रिड मोड में) एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ श्री आर के गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ सहित जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री पद्मा दोरजे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ ने बैठक के दौरान 'कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता' विषय पर एक प्रस्तुति दी। यह बताया गया कि दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के.ज.आ द्वारा अध्ययन की गई 35 एमएमआई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) का मूल्यांकन केवल 36 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, प्रस्तुति में कृषि क्षेत्र में डब्ल्यूयूई में सुधार के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया जैसे कि एनडब्ल्यूएम द्वारा 'सही फसल' अभियान, ईआरएम योजनाएं, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत नहर स्वचालन और पाइपड सिंचाई नेटवर्क से जुड़ी एमएमआई परियोजनाएं, एडीबी द्वारा सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के लिए सहायता आदि। राज्यों ने अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत किया और जल उपयोग दक्षता में सुधार की दिशा में योजना प्रस्तावित की।



राजस्थान राज्य ने बताया कि राज्य में 2 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है जिससे 20% पानी की बचत हुई है और अन्य 4.55 लाख हेक्टेयर विकास के अधीन है। हरियाणा ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना का उल्लेख किया। डब्ल्यूयूई में सुधार के लिए राज्यों द्वारा उल्लिखित कुछ अन्य पहलों में पंजाब में भूजल-बिजली-खाद्य संबंध को बताने के लिए 'पानी बचाओ पैसा कमाओ' योजना, गुजरात में जल संरक्षण के लिए 'सुजलम सुफलाम जल संचय योजना' और महाराष्ट्र में जल लेखा परीक्षा और बेंचमार्किंग पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन शामिल है।

सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने इच्छा व्यक्त की कि राज्यों को वर्तमान जल परिदृश्य का विश्लेषण करना चाहिए और अपने राज्यों में डब्ल्यूयूई स्तरों को प्रस्तुत करना चाहिए और डब्ल्यूयूई में सुधार के लिए रणनीति/योजना के साथ सामने आना चाहिए। इसके अलावा, सभी सिंचाई परियोजनाओं के अभिन्न घटक के रूप में डब्ल्यूयूई की अवधारणा को शामिल करना वांछित था।

गणमान्य अतिथियों के साथ संवादात्मक सत्र

के.ज.आ, मुख्यालय में 25.04.2022 को गणमान्य अतिथियों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रो. असित के. बिस्वास, शिक्षाविद व विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर, ग्लासगो विश्वविद्यालय, यूके और डॉ. सेसिलिया तोर्तजादा, अभ्यासगत प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, ग्लासगो विश्वविद्यालय, यूके के साथ श्री ए.बी. पांड्या, महासचिव, आईसीआईडी शामिल थे।

सत्र की मेजबानी केंद्रीय भूजल बोर्ड के अधिकारियों के साथ अध्यक्ष, के.ज.आ, सदस्य(डीएंडआर) और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों द्वारा की गई थी। सत्र के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जल सुरक्षा की मात्रा निर्धारित करना।



- एक पक्ष के मुद्दे या तो आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन या मांग-पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित होते हैं।
- विश्व में जल संसाधन प्रबंधन और विकास पर नवीनतम विचार। इसके अलावा, प्रो. असित के. बिस्वास ने सत्र के दौरान "जल सुरक्षा और भारत के विकास" पर उनके द्वारा प्रकाशित पेपर के बारे में भी बात की।

बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति के विशेषज्ञों के साथ परिचयात्मक बातचीत

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के माध्यम से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को लागू करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा 29.04.2022 को एक आभासी बैठक बुलाई गई थी। तदनुसार तकनीकी विशेषज्ञ प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति, पी.एस. राव संस्थान के चेयर प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास और श्री डी.के. शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बांध सुरक्षा पहलुओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. और मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ. ने भी पूरे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को लागू करने पर विचार सुझाए।



एनएचपी के तहत विस्तारित जल विज्ञान भविष्यवाणी (बहु-सप्ताह पूर्वानुमान) परियोजना पर कार्यशाला

विस्तारित जल विज्ञान भविष्यवाणी(ईएचपी) जल विज्ञान को प्रभावित करने वाले कारकों की भविष्यवाणी है, जो आमतौर पर एक जलग्रह क्षेत्र में मासिक/मौसमी धारा प्रवाह होता है और जिसे आने वाले समय के महीनों/मौसमों के आधार पर मापा जाता है। जलाशय संचालन, सूखे को कम करने, आदि के माध्यम से पानी के उपयोग की योजना और प्रबंधन के लिए धारा प्रवाह के कुशल और विश्वसनीय पूर्वानुमान मूल्यवान साबित हो सकते हैं और जल प्रबंधकों और उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक जल उपयोग दक्षता और बेहतर जोखिम प्रबंधन हो सकता है। यमुना, नर्मदा और कावेरी घाटियों के लिए विस्तारित जल विज्ञान भविष्यवाणी (बहु-सप्ताह पूर्वानुमान) परियोजना राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त घाटियों में चयनित स्थानों पर पानी की मात्रा के बहु-सप्ताह पूर्वानुमान के लिए उपकरण विकसित करना है। बहु-सप्ताह पूर्वानुमान में पूर्वानुमान जारी करने की तारीख से 4 सप्ताह तक की अवधि को सम्मिलित किया जाएगा।

विस्तारित जल विज्ञान भविष्यवाणी(ईएचपी) परियोजना पर 21-22 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने मुख्य अतिथि के रूप में किया और श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. विशिष्ट अतिथि थे। के.ज.आ. के मुख्य अभियंता डॉ एम. के. सिन्हा ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी विशिष्ट प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र हुए। पहले दिन के तकनीकी



सत्र में ईएचपी परियोजना विवरण, डेटा विकास, अल्प-मौसम मॉडल विकास पर प्रस्तुतीकरण तथा रिसर्च ट्रायंगल इंस्टीट्यूट (आरटीआई) और नेशनल सेंटर फॉर एटमोस्फेरिक रिसर्च (एनसीएआर), यूएसए की टीम/विशेषज्ञों द्वारा मानसून मॉडल का परिचय शामिल था। 22.04.2022 को प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ तकनीकी सत्र शुरू हुए उसके बाद बहु-मापदंड निर्णय विश्लेषण (एमसीडीए) प्रक्रिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, लम्ब्ड वैचारिक मॉडल, डब्ल्यूआरएफ-हाइड्रो मॉडल और सांख्यिकीय मॉडल पर प्रस्तुतियां दी गईं। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद प्रतिभागियों के साथ प्रश्न और संवादात्मक विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के प्रतिभागियों में के.ज.आ., एनसीए, आईएमडी, टीएएमसी(एनएचपी), एनपीएमयू(एनएचपी), एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, एनआरएससी, एनआईएच, विश्व बैंक और जल संसाधन विभाग क्रमशः उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली (एनसीटी), तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यशाला में सलाहकार टीम से आरटीआई और एनसीएआर, यूएसए के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

माननीय राज्य मंत्री (जेएस एंड टीए) द्वारा के.ज.आ. के समग्र कामकाज और ओडिशा से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक

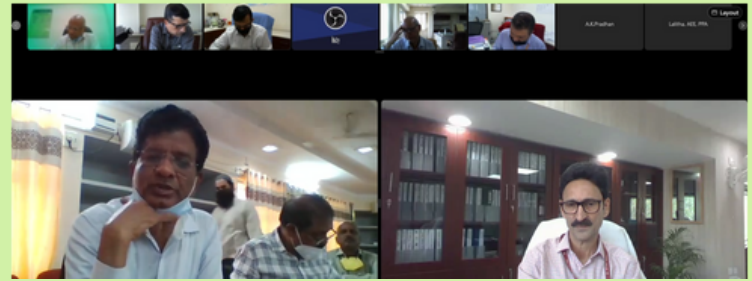
केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने के.ज.आ. के समग्र कामकाज की समीक्षा करने और ओडिशा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए

27.04.2022 को के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया। माननीय राज्य मंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति करण दिया गया। माननीय राज्य मंत्री ने के.ज.आ. की प्रमुख भूमि का और मुख्य कार्यों की सराहना की।

पोलावरम सिंचाई परियोजना की समीक्षा बैठक

सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव श्री कुशविंदर वोहरा, द्वारा +41.15 मीटर पर पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) की शेष लागत और लाभों के आकलन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 05.04.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की गई। बैठक में पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), जल संसाधन विभाग (आंध्र प्रदेश सरकार) और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में एलएमसी, आरएमसी के शेष कार्यों, एलएमसी और आरएमसी के साथ विभिन्न कमांड क्षेत्रों के संयोजियों, शेष लागत की आवश्यकता और +41.15 मीटर के स्तर पर लाभों के आकलन पर चर्चा हुई। सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ ने जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करें और के.ज.आ के विशेष निदेशालयों द्वारा +41.15 मीटर के स्तर पर शेष लागत व लाभों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए के.ज.आ में एक उपयुक्त अधिकारी



की प्रतिनियुक्ति करें।

इसके अलावा, श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने भी आंशिक लाभ और शेष लागत विशेष रूप से अनुप्रवाह कॉफ़र बांध के निघर्षित भाग, ईसीआरएफ बांध के गैप । और गैप II की लागत के संदर्भ में चर्चा के लिए दिनांक 29.04.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। बैठक में पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) और के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया।



बीसी अनुपात की गणना और प्रमुख और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत अनुमान की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कार्य समूह की दूसरी बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन जुलाई 2021 में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अनुमोदन से किया गया था जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य शामिल थे।

कार्य समूह के लिए संदर्भ की शर्तें हैं:

क) लाभ लागत अनुपात (बीसी अनुपात):

1. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जा रहे लाभ लागत अनुपात के वर्तमान तरीकों की समीक्षा करना और उन्हें अधिक यथार्थवादी और तर्कसंगत बनाने के लिए कार्रवाई योग्य सुझाव देना।

2. कार्यकारी समूह परियोजना को प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों को व्यापक रूप से शामिल करने के तरीकों का भी सुझाव दे सकता है, जैसे प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार, खुदरा व्यापार, परिवहन, पर्यटन, संचार, आदि।

ख) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए लागत संशोधन प्रक्रिया का सरलीकरण, जिसमें कार्यक्षेत्र में परिवर्तन शामिल नहीं है:

वृहत और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए लागत के स्वतः संशोधन के लिए एक

उपयुक्त तंत्र की सिफारिश करना, बशर्ते कि परियोजना का दायरा और डिजाइन पहलू समान रहे।

- उक्त कार्यदल की पहली बैठक 12.08.2021 को हुई।
- कार्यदल की दूसरी बैठक 05.04.2022 को आयोजित की गई थी।
- बैठक के दौरान, मुख्य अभियंता, पीएओ और कार्य समूह के सदस्य सचिव द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। सदस्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि बीसी अनुपात के लिए अपनाई जा रही मौजूदा पद्धति को कुछ तर्कसंगत संशोधन के साथ जारी रखा जाए।

इसके अलावा, कार्य समूह के अध्यक्ष ने कार्य समूह के सदस्यों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए।

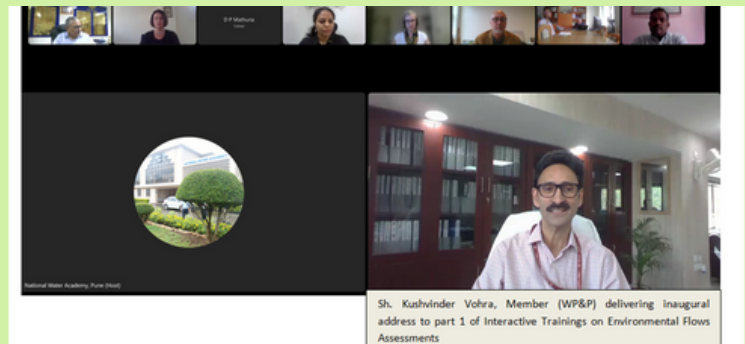
विचार-विमर्श के बाद, कार्यकारी समूह के अध्यक्ष द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन बैठकों के परिणामों और आगे की चर्चाओं के आधार पर एक मसौदा रिपोर्ट जल्द ही तैयार की जाएगी और आगे की जानकारी और सुझावों के लिए सभी सदस्यों के बीच परिचालित की जाएगी। इसके बाद कार्य समूह की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकृति के लिए एसपीआर विंग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

आईईडब्ल्यूपी द्वारा आयोजित पर्यावरणीय-प्रवाह प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन भाषण

05-07 अप्रैल, 2022 के दौरान दिए जाने हेतु निर्धारित प्रशिक्षण विषय- "भारत और यूरोपीय संघ में पर्यावरणीय-प्रवाह मूल्यांकन का परिचय" का उद्घाटन भाषण ऑनलाइन मोड में श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ और पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा दिया गया था।

उन्होंने भारत-यूरोपीय जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) के पहले चरण के तहत नौ चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की गई गतिविधियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी, जिसमें जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे नदी बेसिन प्रबंधन, पर्यावरणीय-प्रवाह मूल्यांकन, भूजल उपयोग और अन्य को शामिल किया गया था।

उन्होंने प्रतिभागियों को सूचित किया कि "भारत में पर्यावरणीय-प्रवाह मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए मार्ग निर्देशन दस्तावेज" और रामगंगा तथा भरतपुड़ा नदी पर पर्यावरणीय-प्रवाह रिपोर्ट आईईडब्ल्यूपी के तहत विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके तैयार की गई है। आगे उन्होंने आईईडब्ल्यूपी के दूसरे चरण के तहत किए जाने वाले परिकल्पित कार्यों पर प्रकाश डाला, जो 01.11.2020



को शुरू हुआ था।

सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी) ने प्रशिक्षण के आयोजन में शामिल सभी संस्थानों/विभागों को बधाई दी और कहा कि यह प्रशिक्षण सत्र भाग लेने वाले सभी युवा अधिकारियों और पेशेवरों को पर्यावरणीय-प्रवाह के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान को बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा, जो विभिन्न मानवजनित और भूगर्भीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप जलीय पारिस्थितिकी द्वारा महसूस किए जा रहे दबावों के कारण समय के साथ महत्व प्राप्त कर रहा है।

मुल्ला पेरियार बाँध के संबंध में बैठक

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 04.04.2022 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और के.ज.आ के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में, मुल्लापेरियार बांध

(एमपीडी) के सुरक्षा पहलुओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (नागरिक) संख्या(ओं) 880/2020 के तहत हुए विचार-विमर्श और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।



प्रगति (PRAGATI) ढांचे के माध्यम से निगरानी की गई परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा

प्रगति की पिछली बैठक में महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाओं पर चर्चा करने का प्रस्ताव था-

सुलवाडे-जम्फल-कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना

इस परियोजना में 50879 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को सिंचित करने के लिए उद्वाहक बिंदु पर अन्तर्ग्राही ढाँचा, उत्थापक के छह चरणों के लिए पांच पंप हाउस, 43.10 किमी लंबी राइजिंग मेन, 37.35 किमी लंबी ग्रेविटी मेन, 51.50 किमी लंबी सब-लाइन और डिस्नेट के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना का सकल भंडारण और सजीव भंडारण क्रमशः 261.62 एमसीएम और 213.83 एमसीएम है। इस परियोजना में 4 मृदाबांधों के निर्माण और 9 मौजूदा एमआई टैंकों के मरम्मत कार्यों की परिकल्पना की गई है। परियोजना को "विदर्भ व मराठावाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य लंबे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु विशेष पैकेज" योजना के तहत शामिल किया गया था, जिसमें कार्यों के लिए (01.04.2018 तक) केंद्रीय सहायता हेतु 2071.54 करोड़ की शेष अनुमानित लागत शामिल थी। इसे



राइजिंग मेन वर्क इन प्रोग्रेस

पूरा करने की लक्ष्य तिथि जून 2023 है। महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज योजना के तहत सुलवाडे-जम्फल-कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए जारी कुल केंद्रीय सहायता ₹204.75 करोड़ है और 2017-18 के बाद मार्च 2022 तक कार्यों पर किया गया व्यय ₹819.20 करोड़ है।

उर्मोडी सिंचाई परियोजना

उर्मोडी सिंचाई परियोजना में दो बांधों, पराली गांव के पास उर्मोडी नदी पर उर्मोडी बांध और अंबाले गांव के पास करहिरा स्थानीय नाला पर अंबाले बांध, नहरों व उदवहन सिंचाई के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना को वर्ष 2017-18 में विशेष पैकेज में शामिल किया गया था, जिसमें सतारा जिले के खाटव और मान तालुका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विशेष रूप से 25503 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना था। विशेष पैकेज में शामिल परियोजना घटक हैं:-

- * यांत्रिक कार्य में 5 पंपों की स्थापना और शेष विद्युत कार्य जिसमें 16 एमवीए से 34 एमवीए अतिरिक्त भार शामिल है;
- * सीटीआरबी, निर्गमाम और खाटव नहर के अस्तरण का शेष कार्य
- * मान नहर का शेष कार्य;



* खाटव और मान नहर का वितरण नेटवर्क
महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज योजना के तहत उर्मोडी सिंचाई योजना के लिए जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता राशि ₹38.25 करोड़ है और 2017-18 के बाद मार्च, 2022 तक कार्यों पर व्यय राशि ₹168.93 करोड़ है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना के गैप- II में मिट्टी-सह-प्रस्तरपूर (ईसीआरएफ) बांध के निर्माण के संबंध में बांध डिजाइन समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) की 20वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए माननीय जलशक्ति मंत्री, नई दिल्ली के सलाहकार श्री श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में 01.04.2022 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीडीआरपी के सदस्य, पीपीए, के.ज.आ, सीएसएमआरएस, जल संसाधन विभाग(डब्ल्यूआरडी), आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी, कार्यकारी एजेंसी (एमईआईएल) और उनके सलाहकार शामिल हुए। चर्चा मुख्य रूप से कटाव नींव के उपचार पर केंद्रित थी। गैप-II में डायफ्राम भित्ति, निकर्षण और पुनर्ग्रहण, वाइब्रो-संघनन द्वारा जल निकासी और भूमि सुधार से संबंधित पहलुओं पर कई प्रस्तुतियां दी गईं।

सीईओ, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण की अध्यक्षता में पोलावरम सिंचाई परियोजना के डिजाइन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 13.04.2022 को के.ज.आ, नई दिल्ली में एक

अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ,सीएसएमआरएस, पीपीए, डीडीआरपी, डब्ल्यूआरडी, एमईआईएल (कार्यकारी एजेंसी), मैसर्स केलर और मैसर्स बाउर के अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान चर्चा मुख्य रूप से गैप-I और गैप-II पर कटाव के बाद ईसीआरएफ बांध की नींव के उपचार पर केंद्रित थी।

इसके अलावा, पोलावरम सिंचाई परियोजना के ईसीआरएफ बांध-निर्माण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डीडीआरपी के सदस्यों (सहयोजित सदस्यों सहित), के.ज.आ, पीपीए और सीएसएमआरएस के अधिकारियों की 24.04.2022 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी। चर्चा मुख्य रूप से निकर्षण नींव के उपचार हेतु विकल्पों के संबंध में हुई | जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और के.ज.आ द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर भी गहन चर्चा की गई। रेत-निकर्षण के पुनर्ग्रहण और उसके स्तर के साथ-साथ जल निकासी के पहलू पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

तकनीकी सत्र-1 के दौरान बहुउद्देशीय नए जल संग्रहण अवसंरचना के विकास पर मुख्य प्रस्तुति

श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ ने 07.04.2022 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तकनीकी सत्र-1 के दौरान बदलते जलवायु के अंतर्गत जल व उर्जा सुरक्षा के लिए जलविद्युत और बांध विकास पर एक मुख्य प्रस्तुति दी। इस सम्मेलन का आयोजन 7-9 अप्रैल, 2022 के दौरान ऋषिकेश में आईएनसीओएलडी, सीबीआईपी और टीएचडीसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। उन्होंने बहुउद्देशीय नए जल संग्रहण अवसंरचना के विकास के संबंध में सभा को संबोधित किया।



अप्रैल-2022 के दौरान प्रशिक्षण गतिविधि

क्रमांक	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	दिनांक	प्रति पाठ्यक्रम प्रशिक्षु की संख्या	शिक्षण का माध्यम	श्रेणी
1	श्रृंखला 4 : "जल अंतर्दृष्टि - प्रख्यात जल विशेषज्ञों द्वारा वार्ता": भारत की भविष्य की जल चुनौतियों का सामना करने के लिए जल क्षेत्र में अपने अनुभवों से निपटना"	06.04.2022	50	दूरस्थ शिक्षा	तकनीकी
2	पर्यावरण प्रवाह आकलन पर इंटरएक्टिव प्रशिक्षण: भाग 1: भारत और यूरोपीय संघ में ई-प्रवाह आकलन पर परिचय	05-07 अप्रैल-2022	169	दूरस्थ शिक्षा	तकनीकी
3	श्रृंखला 5 : " जल अंतर्दृष्टि - प्रख्यात जल विशेषज्ञों द्वारा वार्ता": जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और विकास के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे	13.04.2022	50	दूरस्थ शिक्षा	तकनीकी
4	एमसीटीपी स्तर 2 - एसटीएस के लिए (एनडब्ल्यूए में एक सप्ताह + आईआईएससी बेंगलुरु में एक सप्ताह + आईआईएम बैंगलोर में एक सप्ताह)	11-29 अप्रैल- 2022	25	आवासीय	संवर्ग
5	एमसीटीपी स्तर 3 - जेएजी के लिए (आईआईएम कलकत्ता में एक सप्ताह + एनडब्ल्यूए में एक सप्ताह)	18-29 अप्रैल- 2022	19	आवासीय	संवर्ग
6	एमसीटीपी स्तर 4-एसएजी के लिए (आईआईएम अहमदाबाद में एक सप्ताह)	18-22 अप्रैल- 2022	10	आवासीय	संवर्ग
7	पेंशन संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण	20.04.2022	56	दूरस्थ शिक्षा	गैर-तकनीकी
8	श्रृंखला 6 : " जल अंतर्दृष्टि - प्रख्यात जल विशेषज्ञों द्वारा वार्ता": अनुभव साझा करना"	20.04.2022	107	दूरस्थ शिक्षा	तकनीकी
9	श्रृंखला 7 : " जल अंतर्दृष्टि - प्रख्यात जल विशेषज्ञों द्वारा वार्ता": मेरे द्वारा अनुभव किए गए सीडब्ल्यूईएस के विभिन्न पहलू"	27.04.2022	52	दूरस्थ शिक्षा	तकनीकी

Water Sector-News

- बुंदेलखंड और विंध्य के सैंकड़ों गांव में घर-घर पहुंचा पानी (विराट वैभव, 04.04.2022)
- 'नमामि गंगे' से नदियों को मिला नया जीवन (द पायनीर, 06.04.2022)
- जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ 40 लाख घरों तक पहुंच रहा है जल : डा. त्रिवेदी (हरिभूमि, 10.04.2022)
- पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के जलाशयों में पानी कम (बिजनेस स्टैंडर्ड, 15.04.2022)
- सौराष्ट्र के 141 डैम-जलाशय 60 फीसदी से अधिक खाली (राजस्थान पत्रिका, 18.04.2022)

- गंगा सफाई व जल संरक्षण में विशेष योजना देने वालों को सम्मानित करेगी योगी सरकार (द पायनीर, 19.04.2022)
- इटावा की क्वारी नदी — डेढ़ दशक बाद गर्मी में भी खूब पानी, खुश हैं बीहड़ के लोग (राजस्थान पत्रिका, 23.04.2022)
- जिस प्रकार देश में गंगा जी का नाम उसी तरह मग्न में नर्मदा जी का नाम (हरिभूमि, 26.04.2022)
- अपशिष्ट प्रबंधन से ही प्रदूषण मुक्त होंगी देश की नदियां (राजस्थान पत्रिका, 28.04.2022)
- सामुदायिक भागीदारी से होगा पेयजल समस्या का समाधान (राष्ट्रीय सहरा, 30.04.2022)



ड्रिप

जोशियारा बैराज, मनेरी बांध और वीरभद्र बैराज, यूजेवीएनएल का निरीक्षण दौरा

6-7 अप्रैल, 2022 के दौरान डीआरआईपी चरण-II के तहत जोशियारा बैराज, मनेरी बांध और वीरभद्र बैराज में की जा रही पुनर्वास गतिविधियों का के.ज.आ के अधिकारियों ने यूजेवीएनएल के अधिकारियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और साइट इंजीनियरों के साथ निरीक्षण दौरा किया। चल रहे कार्यों में जोशियारा जलाशय क्षेत्र के दाहिने किनारे से पानी के रिसाव को रोकने के लिए रिसनरोक अपवाहिका/रिसन अपवाहिका का निर्माण और परदा अभिपूरण कार्य, "जोशियारा बैराज संरचना के प्रस्तम्भों और अन्य संबद्ध संरचना में दरारों की मरम्मत" का कार्य और मनेरी बांध के अनुप्रवाह में ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था और अनुलग्न कार्य, वीरभद्र बैराज में स्पिलवे ग्लेशिस से गेट के अंत तक सुरक्षा और नवीनीकरण कार्य शामिल है। सीपीएमयू टीम द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और परियोजना की विभिन्न बाधाओं पर सुझाव दिए गए।

बीसलपुर बांध, राजस्थान का निरीक्षण दौरा

विश्व बैंक (मुख्यालय) की पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रीय सुरक्षा दल ने डीआरआईपी-2 के तहत ईएंडएस सुरक्षा उपायों के जमीनी कार्यान्वयन को देखने के लिए विश्व बैंक भारत दल और सीपीएमयू अधिकारियों के साथ 18-19 अप्रैल, 2022 के दौरान राजस्थान के बीसलपुर बांध का एक साइट दौरा किया। दल ने विभिन्न ईएंडएस प्रोटोकॉल के संबंध में एसपीएमयू राजस्थान के अधिकारियों के साथ-साथ बांध अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत की। इन यात्राओं में बीसलपुर में श्रमिक शिविर, पुनर्वास स्थल शामिल थे। दल ने ठेकेदारों, मजदूरों और स्थानीय जनता से भी बातचीत की। इस दौरे की सिफारिशों से डीआरआईपी-2 के तहत निर्माण-स्थान पर ईएंडएस गतिविधियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

डीआरआईपी चरण II और चरण II से संबंधित मुद्दों के संबंध में बैठक

डीआरआईपी चरण-II और II के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में हो रही देरी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 26.04.2022 को सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ द्वारा एक बैठक ली गई थी। बैठक में परियोजना निदेशक, डीआरआईपी चरण-II और II, सीपीएमयू के निदेशकों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निदेशक(डीएसआर), के.ज.आ ने डीआरआईपी चरण-II और II के तहत सलाहकार की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया। बैठक के दौरान ईसीओएम के साथ बातचीत से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

30.04.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्ट: के.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय(%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.000	1.526	0.82%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	8.000	0.535	6.68%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	0.969	4.18%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	0.000	0.00%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	33.700	0.026	0.076%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	0.030	0.03%



ड्रिलिंग रिग की व्यवस्था जिसका उपयोग कर्टन ग्राउट होल ड्रिलिंग के लिए किया गया है, संचालन में देखा जा सकता है।



विभिन्न ई एंड एस प्रोटोकॉल के संबंध में एसपीएमयू राजस्थान के अधिकारियों के साथ बातचीत



सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए समर्थन

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के समर्थन के संबंध में चल रहे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के मिशन के अंतर्गत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (डब्ल्यूआरडी), कर्नाटक सरकार और अतिरिक्त मुख्य सचिव (ज.सं.वि.), हरियाणा सरकार के साथ क्रमशः 01.04.2022 और 12.04.2022 को बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में निष्पादन, पुनरीक्षण एवं प्रबंधन सुधार संगठन(पीओएमआईओ), के.ज.आ, एशियाई विकास बैंक, सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम चरण-1 की सलाहकार टीम के संबंधित अधिकारियों और राज्य के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

वनविलास सागर परियोजना (कर्नाटक) और लोहारू नहर परियोजना (हरियाणा) के संबंध में चर्चा हुई, जिन्हें सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आधुनिकीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने राज्यों में सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक और के.ज.आ के साथ काम करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई।

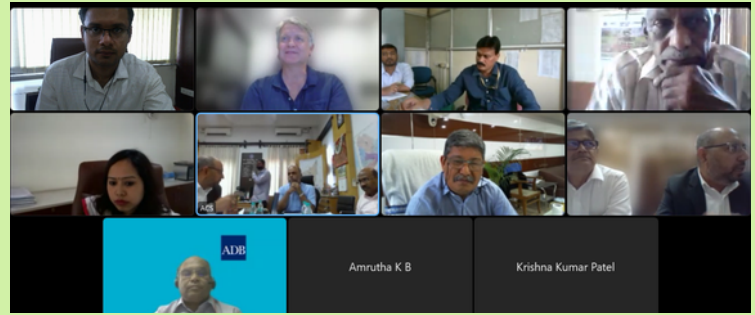
जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 140 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 45 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 140 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 175.957 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.25% है।

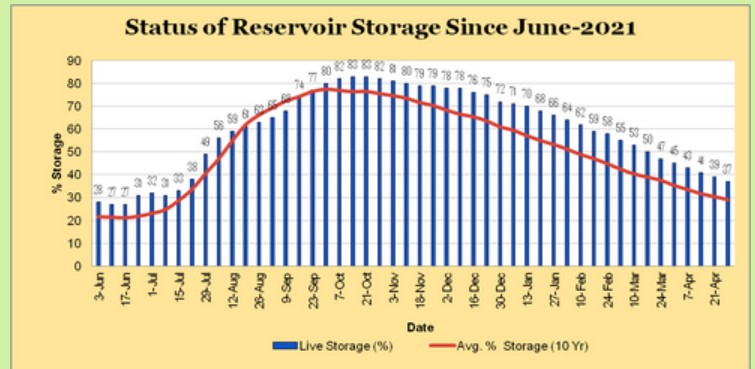
जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 28.04.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 65.315 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 37 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 60.219 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 51.181 बीसीएम था। इस प्रकार,

डेटा कॉर्नर- डीआरआईपी चरण-II और चरण-III के तहत पुनर्वासित किए जाने वाले बांधों की संख्या

क्रमांक	राज्य/एजेंसी	पुनर्वासित किए जाने वाले बांधों की संख्या	क्रमांक	राज्य/एजेंसी	पुनर्वासित किए जाने वाले बांधों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	31	11.	मेघालय	6
2	छत्तीसगढ़	5	12.	उड़ीसा	36
3	गोवा	2	13.	पंजाब	12
4	गुजरात	6	14.	राजस्थान	189
5	झारखंड	35	15.	तमिलनाडु	59
6	कर्नाटक	41	16.	तेलंगाना	29
7	केरल	28	17.	उत्तर प्रदेश	39
8	मध्य प्रदेश	27	18.	उत्तराखंड	6
9	महाराष्ट्र	167	19.	पश्चिम बंगाल	9
10	मणिपुर	2	20.	बीबीएमबी	2



सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के समर्थन के संबंध में चल रहे एशियाई विकास बैंक के मिशन के हिस्से के रूप में 10-15 अप्रैल, 2022 के दौरान सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम चरण-1 के सिंचाई आधुनिकीकरण विशेषज्ञों और के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के अधिकारी की एक टीम ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना साइट-II (आईजीएनपी-II) और राजस्थान में चंबल परियोजनाओं का दौरा किया। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा दो परियोजनाओं को सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है।



दिनांक 28.04.2022 के बुलेटिन के अनुसार 140 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 108 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 128 प्रतिशत है।



गैलरी/आज़ादी का अमृत महोत्सव



श्री जे. हर्षा, निदेशक, के.ज.आ. और श्री प्रताप शेल्के, उप निदेशक, के.ज.आ ने 11-12 अप्रैल, 2022 के दौरान एनएलबीसी-ईआरएम परियोजना का दौरा किया।



प्रबोधन मध्य संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, नागपुर में नवनिर्मित सभा कक्ष का उद्घाटन श्री धीरेन्द्र कुमारतिवारी, मुख्य अभियन्ता महोदय के कर कमलों द्वारा प्रबोधन मध्य संगठन नागपुर के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 22.04.2022 को संपन्न हुआ



दिनांक 30.04.2022 को चंडीगढ़ में संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंधु बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, चंडीगढ़ के साथ निरीक्षण बैठक.



भारत बांग्लादेश कोलकाता में गंगा जल बंटवारे संधि पर संयुक्त समिति की 77वीं बैठक

इतिहास- राजोलीबुंदा डायवर्जन योजना

राजोलीबुंदा डायवर्जन योजना एक अंतरराज्यीय परियोजना है जिसमें कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले के मानवी तालुका, तेलंगाना में महबूबनगर जिले के गोडवाल व आलमपुर तालुका और आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले के 4 गांव को लाभ पहुंचाने के लिए 143 किमी लंबी बायीं ओर की नहर में 24 घनमीटर प्रति सेकंड (850 क्यूसेक) पानी को मोड़ने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक एनीकट बनाया गया है। यह कार्य तत्कालीन हैदराबाद सरकार द्वारा 1944 में ₹.162.86 लाख की अनुमानित लागत से शुरू किया गया था और इसे हैदराबाद राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था।

1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एनीकट, हेडवर्क्स और मुख्य नहर की 42.50 किमी (26.42 मील) लंबाई पूर्ववर्ती मैसूर राज्य को आवंटित की गई है, जबकि 100 किमी की लंबाई (62 मील) तकमुख्य नहर का हिस्सा जो संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के क्षेत्र में आता है तथा 21.8 घन मीटर प्रति सेकंड का निर्वहन उपलब्ध कराता है उसे विधिवत उपयोग के लिए, तेलंगानाको आवंटित किया गया था। नहर अपने उठाव बिंदु से 109 किमी (68 मील) की लंबाई तक पूरी तरह से अस्तरित है और मुख्य नहर की इस पूरी लंबाई में अस्तरण के अलावा, विभिन्न अन्य दिलचस्प संरचनाओं जैसे संयुक्त अतिवाही और गाद जाल, संयुक्त अप्रगामी तरंग अवनालिका-नियामक और गाड़ी पुल, आर.सी.सी. फ़्लक प्रवण पुश्ते के प्रकार के जलसेतू और तटबंध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, वितरण प्रणाली में कई वितरिकाएँ, उप-वितरिकाएँ, असंख्य ह्यूम पाइपड्रॉप्स,

ह्यूम पाइप आउटलेट और एक अच्छे डिजाइन की क्षेत्रवाहिकाओं पर छोटी ड्रॉप्स का निर्माण किया गया है ताकि सिंचाई के पानी को अबी धान अयाकट के लिए 10.1 हेक्टेयर (25 एकड़) की परिधि तथा प्रत्येक सिंचाई रहित रबी क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके।

स्थान

तुंगभद्रा बांध से लगभग 129 किमी नीचे तुंगभद्रा नदी पर एनीकट बनाया गया है। एनीकट का बायां किनारा हेडवर्क्स के साथ राजोलीबुंदा गांव, मानवी तालुका, रायचूर जिला, कर्नाटक राज्य की सीमा में स्थित है और रायचूर जिला मुख्यालय से लगभग 48 किमी दूर है, जो धातु की सड़क से जुड़ा हुआ है। एनीकट का दाहिना किनारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के अदोनी तालुका, कंदुकुर गांव की सीमा में है।

योजना

इस योजना में तुंगभद्रा नदी के पार बाएं किनारे पर पर्याप्त निघर्षण स्लूइस, बाढ़ तटबंध और हेडवर्क तथा दाहिने किनारे पर नदी स्लूइस और बाढ़ तटबंध के साथ एक 820 मीटर लंबी चिनाई वाले एनीकट का निर्माण शामिल है, जिससे नदी के प्रवाह स्तर को बढ़ाया जा सके और बाईं ओर की मुख्य नहर के माध्यम से इसे मोड़ा जा सके।

वितरण प्रणाली में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के मानवी तालुका में लगभग 2,833 हेक्टेयर (7,000 एकड़) क्षेत्र और गोडवाल के छह गांवों में 35,207 हेक्टेयर (87,000 एकड़) क्षेत्र वतेलंगाना के महबूबनगर जिले के आलमपुर तालुका में छियासठ



गांवों और आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चार गांवों में सिंचाई के लिए नदी के पानी को उपलब्ध कराने के लिए एनीकट के बाएं किनारे से 143 किमी लंबी मुख्य नहर का निर्माण करना शामिल है।

इस योजना की कल्पना विशुद्ध रूप से एक रक्षा कार्य के रूप में की गई थी, जिसे मानवी, गडवाल और आलमपुर के शुष्क और सूखाग्रस्त तालुकों से अकाल के निरंतर खतरे को दूर करने और इस पिछड़े क्षेत्र की समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

संयुक्त अतिवाही और गाद जाल संरचनाएं

इस नहर में पहला अतिवाही-सह-गाद जाल 43 किमी और दूसरा 66 किमी पर बना है। पहला, हेडवर्क्स से नीचे आने वाले सभी नियमन अपशिष्ट को निपटाने के लिए है, जबकि दूसरा उपवितरिका प्रतिप्रवाह के पार, नहर के कुल मार्ग के लगभग बीच में, जलसेतू के मार्ग को भारी तल भराव सेबचाने के लिए है। इसी प्रकार की संयुक्त संरचना रामपुर धारा पर जलसेतू के मार्ग में आती है।

जूलिकल धारा के ऊपर जलसेतू के उपागम में नहर के तटबंध के बचाव के लिए 84 किमी पर एक संयुक्त अतिवाही और पात पुलिया का निर्माण किया गया है। एक ऐसी ही समान संरचना जिसमें गाद जाल समाविष्ट है का निर्माण वल्लूर जलसेतू के उपागम पर किया गया है।

संयुक्त अप्रगामी तरंग अवनालिका और नियामक

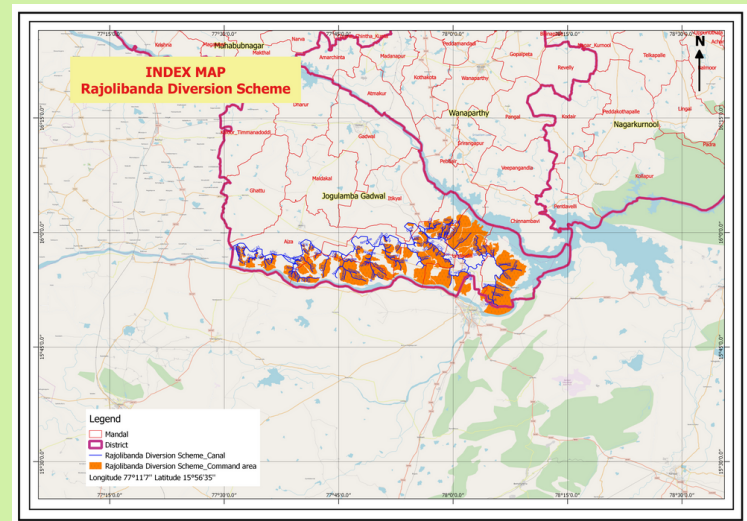
प्रचालन के दौरान नहर द्वारा किए गए वास्तविक निर्वहन को मापना एक आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिज़ाइन किए गए निर्वहन की जरूरत है और पूरे बसे हुए अयाकट की सिंचाई की मांग इससे पूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। इस तरह की सहायता के बिना, मुख्य नहर और वितरिकाओं में प्रवाह का नियमन अत्यंत कठिन हो जाएगा। जैसे कि, मुख्य नहर में और यहां तक कि प्रमुख वितरिकाओं में भी नियमित अंतराल पर मापक उपकरणों का प्रावधान काफी आवश्यक है।

इसके लिए मुख्य नहर में 43 किमी, 74 किमी, 95 किमी और 109 किमी में अप्रगामी तरंग अवनालिका का निर्माण किया गया है। अपनाया गया डिज़ाइन सर सी.सी. इंग्लिस द्वाारा हाइड्रोलिक रिसर्च स्टेशन, खडकवासला में विकसित डिज़ाइन के अनुरूप है।

प्रगति

सभी वितरिकाओं और उप-वितरिकाओं सहित मुख्य नहर को 106 किमी की लंबाई तक पूरा कर लिया गया है और जून 1960 के अंत तक अबी धान के 5,260 हेक्टेयर (13,000 एकड़) क्षेत्र तथा 6,475 हेक्टेयर (16,000 एकड़) सिंचित शुष्क क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया गया है। अब तक कुल

3,738 हेक्टेयर (9,238 एकड़) क्षेत्र रबी सीजन में विकसित किया गया है। जुलाई, 1958 में पहली बार नहर प्रणाली में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया था।



राजोलीबुंदा डायवर्जन योजना	
विशेषताएँ एक नजर में	
नदी	तुंगभद्रा
जलयहण - क्षेत्र	61,427 वर्ग किमी (23,717 वर्ग मील)
अधिकतम बाढ़ निर्वहन	21,237 घन मी प्रति सेकंड (75,000 क्यूसेक)
एनीकट	
लंबाई	820 मी (2,690 फीट)
सबसे गहरी नींव से ऊँचाई	9.4 मी (31 फीट)
बाढ़ वाले किनारों की लंबाई	1,341 मी (4,400 फीट)
शीर्ष स्लूइस	1.8 मी x 2.1 मी (6x7 फीट) के 5 निकास
निर्घर्षण स्लूइस	1.8 x 2.1 मी (6x7 फीट) के 3 निकास
नहर	
नहर की लंबाई	
(अ) अस्तरित भाग	109 किमी (68 मील)
(ब) बिना अस्तर का भाग	34 किमी (21 मील)
धारण क्षमता	(अ) 24 घन मी प्रति सेकंड कर्नाटक के शीर्ष पर (ब) 21.8 घन मी प्रति सेकंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शीर्ष पर
तल की चौड़ाई	
(अ) अस्तरित भाग	7 से 3.8 मीटर (23 से 12.58 फीट) तक भिन्न
(ब) बिना अस्तर का भाग	9.70 से 4.2 मीटर (32 to 14 फीट) तक भिन्न
पूर्ण प्रदाय गहराई	
(अ) अस्तरित भाग	2 से 1.7 मीटर (7 to 5.75 फीट) तक भिन्न
(ब) बिना अस्तर का भाग	1.5 से 0.9 मीटर (5 to 3 फीट) तक भिन्न
सकल कमान (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)	61,777 हेक्टेयर (1,52,654 एकड़)
शुद्ध सकल कमान	
(आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)	47,616 हेक्टेयर (117,662 एकड़)
सिंचाई (आंध्र प्रदेश)	
(ए) अबी धान	13,961 हेक्टेयर (34,500 एकड़)
(बी) बारहमासी	1,821 हेक्टेयर (4,500 एकड़)
(सी) सिंचित शुष्क-रबी	19,429 हेक्टेयर (48,000 एकड़)

(स्रोत: भागीरथ 1961)



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता [मा.सं.प्र.] - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथकर, मुख्य अभियंता [पीएमओ] - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक (टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक [डब्ल्यूपीएंडपी-सी] - सदस्य
- श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक [ज.प्र.अभि.] - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक [डीएण्डआर सम.] - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक [ज.प्र.अभि.] - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in